23

II/निग0/सिंगरौली/2018/0969

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (म0प्र0), ग्वालियर (म0प्र0)

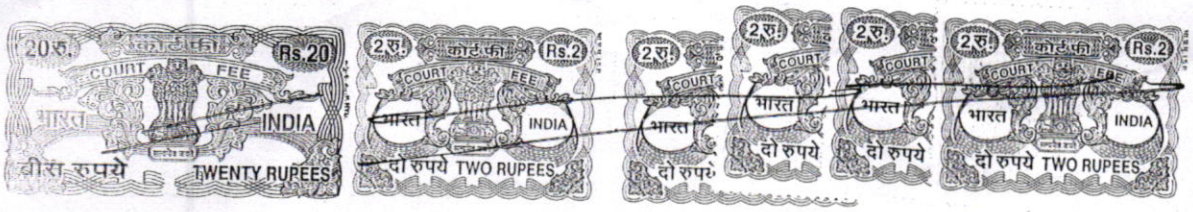

अब्दुल रहिमान पिता भोंदू मुसलमान निवासी ग्राम सहुआर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0। --------**आवेदक**

बनाम्

1 रामकृष्ण पिता दूबारी लोहार निवासी ग्राम सहुआर, तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0। ----- **अनावेदकगण**

2. म0प्र0 शासन

अधि0 श्री संजीत कुशवाहा, द्वारा पेश 14-2-18

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क0 159/अपील/2016–17 में परित आदेश दिनांक 23/01/2018

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः–

यह कि भूमि खसरा कमांक 4/255/2 रकवा 0.032हे0, 4/256/2 रकवा 0.042हे0, एवं 16/252/1/2 रकवा 0.500हे0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.574हे0 स्थित ग्राम मौजा खोभा तहसील देवसर जिला सिंगरौली की भूमि को आवेदक ने दिनांक 12/7/1993 को अनावेदक से कय कर कब्जा दखल प्राप्त कर नामांतरण का आवेदन पत्र धारा 109–110 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार देवसर जिला सिंगरौली के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 48/अ–6/2011–12 के रूप में दर्ज किया गया जिसमें अनावेदक उपस्थित होकर सहमती का कथन किया जिसके वाद कार्यवाही दिनांक 06/05/2016 को आवेदक के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

सिंगरौली भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2018/969

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका हैं। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक–1 ने तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 48 अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 6–5–16 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 159/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–1–18 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में व्यक्त किया कि तहसील न्यायालय में रामकृष्ण उपस्थित रहा है एंव उसने कथन भी दिये हैं वाद विचारित भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हुआ है , परन्तु अनावेदक ने झूँठा शपथ पत्र देकर अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने विश्वास करने में भूल की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जावे, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आने पर स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर के अंतरिम आदेश दिनांक 23–1–18 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुवभिागीय	

सिंगरौली

अधिकारी ने आदेश में यह अंकित करते हुये अनावेदक का अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है :–

- अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश आर्डरशीट में अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है इससे अपीलार्थी को आदेश की जानकारी न होना स्वभाविक है साथ ही उत्तरवादी द्वारा धारा–5 के खंडन में कोई जबाव व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसतरह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अखंडित है। *

यदि अनुविभागीय अधिकारी के उक्तानुसार निष्कर्ष के क्रम में विचार किया जाय –

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्गस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

उपरोक्तानुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–1–18 उचित प्रतीत होता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य